



न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 07/2013 अंतर्गत धारा-18 आमर्स एक्ट  
(GCMS No. 2013/00072)

राजेंद्रपाल सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच  
एच पुलिस थाना चूनामढ़ जिला श्रीगंगानगर।

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक।

27.5.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित।  
अभिभाषक अपीलांत श्री सुरेश मोहता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कर  
निवेदन किया कि उक्त अनुवानी अपील में अपीलांत का देहांत  
दिनांक 17.06.2023 को हो गया है। अपीलांत के वारिस अब इस  
अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः यह अपीलांत खारिज  
की जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अभिभाषक अपीलांत  
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय  
जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 07.11.2012 के  
विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के  
अनुसार अपीलांत का देहांत दिनांक 17.06.2023 को हो जाने के  
कारण इस न्यायालय में विचाराधीन इस अपील का अब कोई  
औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अपील अपीलांत Abate हो जाने के  
कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। आदेश सुनाया गया।  
अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील  
नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे।

9/5/24  
(वन्दना सिंघवी)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर